न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – दिव्यराज सिंह चुण्डावत, (आर०ए०एस)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
01/2025	13.01.2025	02.05.2025

उनवान

1. श्रीमती सुशीला देवी डाड पत्नी ओमप्रकाश डाड निवासी ए–291 आर०के० कॉलोनी भीलवाडा

—— अपीलार्थीया

बनाम

1. श्री सतीश कुमार पुत्र रेवाचन्द तेजवानी निवासी 03–सी–02 न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—— प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 2032 निर्णय दिनांक 29.07.2024
ग्राम पंचायत हलेड अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति–

1. अपीलार्थीगण अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. प्रत्यर्थीगण संख्या 01 उपस्थित।
3. प्रत्यर्थीगण 02 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत हलेड) के समक्ष ग्राम अगरपुरा प०ह० हलेड़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 387 रकबा 0.2908 हैक्टेयर कुल किता 01 एक कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2024 के अनुसार पटवारी हल्का हलेड ने नामान्तकरण संख्या 2032 दिनांक 12.07.2024 को दर्ज कर, उक्त नामान्तकरण संख्या 2032 को जाँच व आदेशार्थ हेतु पटवारी हल्का ने अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत हलेड़) के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत हलेड़) ने भी किसी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकार की जॉच व तहकीकात नही कर, मौके पर कब्जा का विवाद होने के आधार पर नामान्तकरण अस्वीकृत कर दिनांक 29.07.2024 को खारीज कर दिया जिससे असन्तुष्ट होकर, अपीलार्थीया की और से यह अपील निम्न उजरात के साथ श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।" अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत हलेड़) द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरित होने से अपास्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत हलेड़) ने मौके की स्थिति की वास्तविक जाँच एवं तहकीकात किये बिना ही विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने लायक है। अपीलार्थीया ने ग्राम अगरपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 387 रकबा 0.2908 हैक्टेयर कुल किता 01 एक कुल रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 01 एक सतीशकुमार जेतवानी से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2024 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, तभी से उक्त वर्णित भूमि पर अपीलार्थीया क्रय दिनांक 03.07.2024 से ही मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करती आ रही है. मौके पर कब्जे बाबत् कोई विवाद नहीं है, उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरकण को अधिनस्थ न्यायालय ने अस्वीकृत करने में महत्पूर्ण भूल की है, अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण अपास्त होने लायक है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया की क्रय सुदा भूमि के बाबत् मौके पर कब्जे बाबत् कोई जॉच व तहकीकात नही है, अपने मनकसूद तरीके से अपीलार्थीया को नुकसान पहुंचाने के आशय से पटवारी हल्का द्वारा भरे गये, नामान्तकरण को अस्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूल की, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण निरस्त होने लायक है। विवादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 387 रकबा 0.2908 हैक्टेयर भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 01 का कब्जा था, जिसे देखकर अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थी संख्या 01 से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है, जिस पर क्रय दिनांक से अपीलार्थीया का कब्जा है, मौके पर कब्जे बाबत् कोई विवाद नही है एवं वर्तमान में भी अपीलार्थीया मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया को नुकसान पहुंचाने के आशय से पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण को अधिनस्थ न्यायालय ने खारीज करने में महत्वपूर्ण भूल की है, अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत हलेड़) द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 2032 दिनांक 29.07.2022 को स्वीकृत हुआ, जिसकी अपील अन्दर अवधि 30 दिन में प्रस्तुत नही हो पायी क्योंकि अपीलार्थीया को गलत नामान्तकरण की जानकारी पूर्व में किसी प्रकार से नही थी, हाल में सीमाज्ञान कराये जाने हेतु खाते की नकल प्राप्त की तो गलत नामान्तकरण होने की जानकारी हुई, जिससे अपीलार्थीगण ने नामान्तकरण संख्या 2032 की नकल दिनांक 13.11.2024 प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी हुई, अपील जानकारी से अन्दर अवधि में प्रस्तुत नही हो पायी है, जिसके लिए धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है अपीलार्थी की अपील स्वीकार कराई जाकर अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत हलेड़) द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 2032 दिनांक 29.07.2024 को निरस्त फरमाया जावें एवं आराजी नम्बर 387 रकबा 0.2908 हैक्टेयर को विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2024 के आधार पर अपीलार्थी के नाम पर किये जाने का आदेश प्रदान कराया जायें।

अपीलार्थीया की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट के सम्मन जारी किये।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलार्थीया की अपील स्वीकार करने में आपत्ति प्रकट नहीं की है।

अपीलार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये नामान्तकरण संख्या 2023 पर ग्राम पंचायत हलेड के आदेश दिनांक 29.07.2024 को निरस्त कर विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 03.07.2024 के आधार पर अपीलार्थीया के नाम पुनः नामान्तकरण कार्यवाही कर राजस्व रेकार्ड में केता अपीलार्थी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

अपीलार्थीया की अपील का अध्ययन किया गया। अपील के साथ संलग्न नामान्तकरण संख्या 2032 का परीक्षण किया। ग्राम अगरपुरा के आराजी नम्बर 387 क्षैत्रफल 0.2908 हैक्टेयर भूमि सतीश कुमार पुत्र रेवाचन्द तेजवानी ने सुशीलादेवी पत्नी ओमप्रकाश डाड को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2024 से विक्रय किया। सरपंच ग्राम पंचायत हलेड ने मौके पर कब्जा विवाद होने के आधार पर नामान्तकरण संख्या 2032 को खारिज कर दिया जबकि नामान्तकरण खारिज करने का अधार विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थीया की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है।

–:: आदेश ::–

अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत हलेड) द्वारा ग्राम अगरपुरा, पटवार हल्का हलेड तहसील भीलवाडा के नामान्तकरण संख्या 2032 दिनांक 29.07.2024 पर पारित नामान्तकरण आदेश को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम अगरपुरा, पटवार हल्का हलेड तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 387 रकबा 0.2908 हैक्टेयर के सम्बन्ध में विकेता से केता के कब्जे की जॉच कर पुनः नामान्तकरण कार्यवाही करें। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जावें।

(दि[illegible] सिंह [illegible]वत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा